मेन्स मास्टर

पश्चिमी व्यापार एजेंडा नव-संरक्षणवादी है

संदर्भ
• पश्चिमी देशों द्वारा अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए पर्यावरण नीतियों का सूक्ष्मता से उपयोग करने के बारे में बढ़ती चिंताएँ, जिसे नव-संरक्षणवाद कहा जाता है।

पृष्ठभूमि
• पारंपरिक संरक्षणवाद में घरेलू बाजारों को सीधे ढालने के लिए टैरिफ और कोटा शामिल हैं।
• नव-संरक्षणवाद अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षणवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विनियमों और नीतियों (अक्सर जलवायु संकट से संबंधित) का उपयोग करता है।

पश्चिम द्वारा नव-संरक्षणवाद: उदाहरण
• **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM):** उच्च कार्बन पदचिह्नों वाले आयातों पर टैरिफ लगाता है, जिसका उद्देश्य EU के भीतर कम कार्बन उद्योगों को बढ़ावा देना है।
  ◦ **नकारात्मक पक्ष:** उच्च कार्बन बेसलाइन सामग्रियों पर निर्भरता के कारण डाउनस्ट्रीम यूरोपीय क्षेत्रों (जैसे कार निर्माण) को नुकसान पहुँचा सकता है। नवाचार को दबाने और यूरोपीय उद्योगों को वैश्विक बाजारों से अलग करने का जोखिम भी है।
  ◦ CBAM की स्थिरता EU उद्योग के लिए अनपेक्षित नकारात्मक परिणामों की इसकी क्षमता से सीमित हो सकती है।
• **यूएस मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (IRA):** घरेलू स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देता है। वाहनों और बैटरियों के लिए इसके 'मेड इन अमेरिका' जनादेश ने अमेरिकी बाजार में निर्यात में बाधा डालने और कर लाभ के लिए यूरोपीय संघ की कंपनियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने के आरोपों को जन्म दिया है।
  ◦ **यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया:** IRA का मुकाबला करने के लिए, EU ने नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट और क्रिटिकल रॉ मैटेरियल्स एक्ट सहित अपनी ग्रीन डील औद्योगिक योजना शुरू की।

नव-संरक्षणवाद कैसे उभरा
• COVID-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीतर अलग-अलग देशों की कमज़ोरियों और उन पर अत्यधिक निर्भरता को उजागर किया।
• पश्चिमी देशों ने नव-संरक्षणवादी उपायों के औचित्य के रूप में जलवायु एजेंडे के साथ जुड़े आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देना शुरू कर दिया।

पश्चिम का दोहरा मापदंड
• भारत के आत्मनिर्भर भारत की आलोचना: पश्चिमी आलोचकों ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की भारत की पहल को संरक्षणवादी करार दिया, जबकि जलवायु पहल के रूप में छिपी अपनी खुद की समान रणनीतियों को नज़रअंदाज़ कर दिया।

क्या भारत वास्तव में संरक्षणवादी है?
• भारत का आत्मनिर्भर भारत, विशुद्ध रूप से संरक्षणवादी दृष्टिकोण के बजाय उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी पहलों के साथ भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने पर जोर देता है।

निष्कर्ष
• पश्चिमी देश पर्यावरण संबंधी चिंता के आवरण के पीछे आर्थिक हितों को छिपाते हुए नव-संरक्षणवादी नीतियों को अपनाते हैं। यह निष्पक्ष और मुक्त व्यापार सिद्धांतों को कमजोर करता है और विकासशील देशों की आलोचना में दोहरे मानदंडों का उपयोग करता है।
• जैसा कि अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने देखा, आर्थिक स्थिरता और बेरोजगारी को कम करने के लिए परिस्थितियों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के स्तर की आवश्यकता होती है। पश्चिम को इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और अपने संरक्षणवादी कार्यों को छिपाने वाले दोहरे मानदंडों को अपनाना बंद कर देना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने शुद्ध उधार सीमा पर केरल सरकार के मुकदमे को पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा

संदर्भ
• केरल केंद्र सरकार द्वारा अपनी उधार सीमा पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।
• राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है जिसमें तर्क दिया गया है कि ये सीमाएँ संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं।

पृष्ठभूमि
• भारत में एक संघीय व्यवस्था है, जहाँ वित्तीय शक्तियाँ केंद्र (संघ) सरकार और अलग-अलग राज्यों के बीच साझा की जाती हैं।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 राज्यों को उधार लेने की शक्ति देता है, लेकिन केंद्र सरकार को इस उधार पर शर्तें लगाने की भी अनुमति देता है।

मामला संविधान पीठ के समक्ष क्यों है
• सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि केरल का मुकदमा राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्ति संतुलन के बारे में गंभीर कानूनी सवाल उठाता है।
• राजकोषीय संघवाद, वित्त आयोग की भूमिका और भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बुनियादी सवालों को संबोधित करने के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की आवश्यकता है।

संविधान पीठ क्या निर्णय लेगी
• क्या "राजकोषीय संघवाद" राज्यों को अपनी उधार सीमाएँ निर्धारित करने का अधिकार देता है, या क्या केंद्र सरकार प्रतिबंध लगा सकती है?
• क्या केरल को अन्य राज्यों की तुलना में अनुचित व्यवहार मिला है?
• क्या केंद्र सरकार की सीमाएँ भारत के ऋण प्रबंधक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका के साथ संघर्ष करती हैं?
• क्या केंद्र सरकार को वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिए?

अनुच्छेद 293 के प्रावधान
• **अनुच्छेद 293(1):** राज्यों को भारत के भीतर उधार लेने की शक्ति प्रदान करता है।
• **अनुच्छेद 293(3):** केंद्र सरकार को राज्य के उधार पर शर्तें या प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

भविष्य का दृष्टिकोण
• सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक निर्णय केरल को कुछ राहत प्रदान करता है, लेकिन उधार सीमा के मूल मुद्दे को सीधे संबोधित नहीं करता है।
• संविधान पीठ के निर्णय का भारतीय राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता और राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्ति संतुलन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय संभावित रूप से भारत की राज्य और केंद्र सरकारों के बीच राजकोषीय संबंधों को नया रूप दे सकता है।

ईडी 'किसी भी जानकारी' के लिए किसी को भी बुला सकता है: सुप्रीम कोर्ट

संदर्भ
• भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की व्यापक जांच शक्तियों पर जोर दे रहा है।

पृष्ठभूमि
• ईडी ने अवैध रेत खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के चार जिला कलेक्टरों को तलब किया।
• कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए, उन्होंने कहा कि वे चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं और उन्हें जानकारी इकट्ठा करने के लिए और समय चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन
• सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बुलाने के ईडी के अधिकार को दृढ़ता से बरकरार रखा।
• न्यायालय ने कलेक्टरों की पिछले न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने और कानून और संविधान के प्रति अनादर दिखाने के लिए आलोचना की।

सर्वोच्च न्यायालय को किस बात ने प्रेरित किया

• कलेक्टरों द्वारा ईडी के समन का पालन न करना तथा न्यायालय के पिछले आदेश की अवहेलना।

निहितार्थ

• यह निर्णय जांच करने में प्रवर्तन निदेशालय की व्यापक शक्तियों को पुष्ट करता है।

• यह इस बात पर जोर देता है कि ईडी द्वारा समन किए गए व्यक्ति कानूनी रूप से सहयोग करने के लिए बाध्य हैं, चाहे उनकी स्थिति या अन्य कर्तव्य कुछ भी हों।

संवैधानिक और कानूनी मुद्दे

• यह निर्णय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 पर गहनता से विचार करता है, जो ईडी को समन करने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।

• यह जांच शक्तियों की आवश्यकता तथा व्यक्तियों के अधिकारों के बीच संतुलन के बारे में संभावित प्रश्न उठाता है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार की एक महत्वपूर्ण पुष्टि है। यह मामला ईडी के समन का अनुपालन करने के लिए नागरिकों के दायित्व तथा गैर-अनुपालन के संभावित परिणामों पर प्रकाश डालता है।

केंद्र ने पतंजलि के 'कोविड इलाज' के दावे पर आंखें क्यों मूंद लीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

संदर्भ

• भारत का सर्वोच्च न्यायालय पतंजलि आयुर्वेद के कोविड-19 के इलाज के दावों के जवाब में सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहा है।

पृष्ठभूमि

• महामारी के दौरान, पतंजलि ने अपने उत्पादों को कोविड-19 के इलाज के रूप में खूब प्रचारित किया।

• भारत सरकार की अपनी समिति ने पाया कि पतंजलि के उत्पादों में इन दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज़ है

• न्यायालय को चिंता है कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों और सरकार की निष्क्रियता ने सुरक्षा की झूठी भावना पैदा की और संभावित रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को कमज़ोर किया।

• पतंजलि ने औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 का उल्लंघन किया, जो दवाओं के बारे में भ्रामक दावों को प्रतिबंधित करता है।

• न्यायालय ने पिछले न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करने और भ्रामक जानकारी का विज्ञापन जारी रखने के लिए पतंजलि के सह-संस्थापक बाबा रामदेव की आलोचना की है।

पतंजलि के साथ समस्या

• पतंजलि ने बिना किसी उचित वैज्ञानिक आधार के अपने उत्पादों के बारे में झूठे दावे किए कि वे कोविड-19 का इलाज हैं।

• इन दावों ने महामारी के दौरान लोगों के डर और हताशा का फायदा उठाया।

कानूनी प्रावधान

• पतंजलि औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का उल्लंघन कर रहा है।

• सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की अवहेलना करने के लिए पतंजलि और उसके संस्थापकों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की।

परिणाम

• ऐसे भ्रामक दावों से वैध चिकित्सा उपचारों और संस्थानों में जनता का भरोसा खत्म हो सकता है।

• सरकार की ओर से कोई कार्रवाई न करना उनकी नियामक भूमिका और मिलीभगत की संभावना पर सवाल उठाता है।

पाठ्यक्रम सुधार

• सुप्रीम कोर्ट सरकार को यह स्पष्ट करने के लिए एक बयान जारी करने के लिए बाध्य कर रहा है कि पतंजलि के उत्पाद कोविड-19 के इलाज के लिए सिद्ध नहीं हैं और उन्हें केवल पूरक माना जाना चाहिए।

• पतंजलि और उसके प्रतिनिधियों पर उनके झूठे विज्ञापन के लिए संभावित झूठी गवाही और अवमानना के आरोप लग सकते हैं।

निष्कर्ष

यह घटना चिकित्सा दावों को विनियमित करने के महत्व को उजागर करती है, खासकर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान। यह गलत सूचना और झूठे इलाज से सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने की सरकार की जिम्मेदारी के बारे में भी चिंता पैदा करती है।

प्रीलिम्स बूस्टर

क्या इस गर्मी में भारत में अधिक गर्म दिन देखने को मिलेंगे?

🔥 **हीट वेव पूर्वानुमान:** आईएमडी ने भारत के कई क्षेत्रों में औसत से अधिक हीट वेव दिनों की भविष्यवाणी की है, जो अल नीनो स्थितियों से और भी बढ़ जाएगी।

🌡️ **हीट वेव के पीछे के कारक:** जलवायु परिवर्तन और अल नीनो घटनाएँ हीट वेव को तीव्र करती हैं, जो भारत के 90% से अधिक हिस्से को प्रभावित करती हैं और आजीविका और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम डालती हैं।

💧 **चुनाव आयोग की सलाह:** चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान हीट वेव के प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें हाइड्रेशन और उच्च तापमान से सुरक्षा पर जोर दिया गया है।

🔥 **हीट वेव माप मानदंड:**

• **आईएमडी विशिष्ट मानदंडों के आधार पर हीट वेव की घोषणा करता है:**

• मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचना।

• सामान्य अधिकतम तापमान से लगभग 4.5-6.4 डिग्री सेल्सियस का विचलन।

• वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार करना।

•यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो 'गंभीर गर्मी की लहर' घोषित की जाती है।

• गुणात्मक रूप से, गर्मी की लहर तब आ सकती है जब तापमान मानव शरीर के लिए घातक हो जाए।

सरकार हरित इस्पात नीति पर काम कर रही है'

🌿 **हरित इस्पात नीति विकास:**
इस्पात मंत्रालय कम कार्बन उत्सर्जन वाले इस्पात उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक हरित इस्पात नीति पर काम कर रहा है, जिसमें विनिर्माण प्रक्रियाओं, आवश्यक कौशल सेट और वित्त पोषण सहायता को परिभाषित करना शामिल है।

🏭 **डीकार्बोनाइजेशन रणनीति:**
हरित इस्पात बनाने के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, जिसमें हाल ही में टास्क फोर्स ने विनिर्माण के दौरान कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में बायोचार या बायोमास के उपयोग की जांच की है।

💡 **भविष्य की पहल:**
भारत अपनी खुद की शुद्ध-हाइड्रोजन आधारित DRI तकनीक विकसित करने पर विचार कर रहा है, जिसमें हाइड्रोजन आधारित इस्पात उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए पायलट परियोजनाओं और संघ-आधारित सुविधाओं की खोज की जा रही है।

📊 **उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य:**
घरेलू इस्पात क्षेत्र भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 12% का योगदान देता है, जिसमें उत्पादित कच्चे इस्पात के प्रति टन 2.55 टन CO2 की उत्सर्जन तीव्रता है, जो वैश्विक औसत 1.9 टन CO2 से अधिक है।

💰 **वित्तपोषण आवंटन:**
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस्पात निर्माण में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए 455 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, साथ ही हरित इस्पात उत्पादन की दिशा में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए एक योजना भी तैयार की है।

अध्ययन से पता चलता है कि 82% यूरोपीय संघ की कृषि सब्सिडी उच्च-उत्सर्जन वाले खाद्य को बढ़ावा देती है

🌱 **यूरोपीय संघ की कृषि सब्सिडी का प्रभाव:**
एक अध्ययन से पता चला है कि यूरोपीय संघ की 80% से अधिक कृषि सब्सिडी उच्च-उत्सर्जन वाले पशुधन और पशु-उत्पाद खेती को बढ़ावा देती है, जो ब्लॉक के जलवायु लक्ष्यों और स्थिरता प्रयासों में बाधा डालती है।

🐄 **पशुधन सब्सिडी का प्रभुत्व:**
पशुधन किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान, जो सब्सिडी का आधा हिस्सा है, मुख्य रूप से उच्च-उत्सर्जन वाली कृषि को निधि देता है, जिसमें पशु चारा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण समर्थन शामिल है।

💸 **उत्सर्जन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन:**
चारा उत्पादन सहित पशुधन के लिए सब्सिडी, बढ़े हुए उत्सर्जन में योगदान करती है, जिसमें चारा लागत को शामिल करने पर गोमांस उत्पादन के लिए सब्सिडी लगभग दोगुनी हो जाती है।

📉 **जलवायु लक्ष्यों पर प्रभाव:**
अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि यूरोपीय संघ की सामान्य कृषि नीति (CAP) जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन प्रयासों के लिए चुनौतियाँ पेश करती है, क्योंकि यह अधिक टिकाऊ पौधे-आधारित विकल्पों की तुलना में पशु-आधारित उत्पादों का पक्षधर है।

🌍 **कृषि में जलवायु संबंधी चिंताएँ:**
यह देखते हुए कि वैश्विक खाद्य प्रणालियाँ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, अध्ययन जलवायु उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए अधिक टिकाऊ कृषि प्रथाओं की ओर नीतिगत बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है।